औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील ५२ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२५ पासून दि.३१.०८.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय, क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक :- १० मार्च, २०२५.

- पहा: १) उ.ऊ.व का.वि.,शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.११.०२.२०२१.
 - २) उ.ऊ.व का.वि., शासन शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.०६.२०२१ व दि.२४.०६.२०२१.
 - ३) उ.ऊ.व का.वि., शासन आदेश क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार-१, दि.१४.०२.२०२२.
 - ४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.प्.क., दि.३१.०८.२०२३
 - ५) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ आस्थापना/५५१२/२, दि.०६.०९.२०२३.
 - ६) उ.ऊ व का.वि.,शा.नि.क्र. औस्वआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २१.०९.२०२३.
 - ७) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४.
 - ८) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ आस्थापना/३९८३/२, दि.२३.०२.२०२४.
 - ९) उ.ऊ व का.वि.,शा.नि.क्र. औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. ०१.०३.२०२४.
 - 90) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ आस्थापना/३९८३/२, दि.०२.०९.२०२४.
 - ११) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४.
 - १२) उ.ऊ व का.वि.,शा.नि.क्र. औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४.
 - 9३) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ आस्थापना/१००९/२, दि.२४.०२.२०२५.
 - १४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०३.०३.२०२५.

शासन निर्णय :-

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या सहमतीने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यात, संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णय शुद्धिपत्रक व आदेशांन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील, राजपत्रित व अराजपत्रित अशी ५२ अस्थायी पदे, दि.०१.०९.२०२४ पासून दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.१२ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यांत आली होती.

- २. आता, संचालनालयाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील, सोबतच्या परिशिष्टातील "अ", "ब", "क", "इ", "इ" व "फ" येथे दर्शविलेली, राजपत्रित व अराजपत्रित अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील मान्यतेनुसार दि.०१.०३.२०२५ पासून दि.३१.०८.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.
- ३. परिशिष्ट "अ", "ब", "क" आणि "इ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता, (००) (०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
- ४. परिशिष्ट "ड" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ००४ संशोधन व सांख्यिकी (००) (०१) औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन (२२३० ०४५२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
- ५. परिशिष्ट "फ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
- ६. पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर ५२ अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०२५-२६ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा.
- ७. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १४ येथील दि. ०३.०३.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१०१५७५४४२१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(बा.सि.शिंदे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत माहितीस्तव,

- १. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव
- २. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव
- ३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, मुंबई
- ४. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक

प्रति,

- १. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई.
- २. सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई)
- ३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर.
- ४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- ५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई.
- ६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६
- ७. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ८. निवड नस्ती.

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.२०२५.

परिशिष्ट "अ" राजपत्रित पदे

लेखाशिर्ष क्र. "के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय **(२२३० ०५२१)** ०१ वेतन"शी संबंधित पदे

| अ. | पदनाम | पदांची | ठिकाण | वेतन मॅट्रीक्स | पदनिर्मिती |
|------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| क्र. | | संख्या | (पदसंख्या) | | |
| 9 | अपर संचालक, | 7 | मुंबई (१) | एस-२४: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. |
| | औद्योगिक | | पुणे (१) | 09,900- | क्र.आस्थापना- १०२००/ |
| | सुरक्षा व | | | २,११,९०० | (१२६७)/भाग-(१)/ २००४/ |
| | आरोग्य | | | | काम-१, दि.२९/६/२००४ |
| | संचालनालय | | | | |
| 2 | सह संचालक, | २ | मुंबई (१) | एस-२३: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. |
| | औद्योगिक | | वसई (१) | ξ(9,000 <u>-</u> | एफडीई- ३२८०/१५९७/ |
| | सुरक्षा व | | | २,०८,७०० | का-६, दि.११/६/१९८१ व |
| | आरोग्य | | | | क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ |
| | संचालनालय | | | | का-११, दि.२३/५/१९९७ |
| 3 | सह संचालक, | 9 | कल्याण (१) | एस-२३: | शा.नि.च.ऊ.व का.वि.क्र. |
| | औद्योगिक | | | £19,1900_ | एफडीई-३२९०/५३८४/ |
| | सुरक्षा व | | | २,०८,७०० | का-२, दि.१/१/१९९१ व |
| | आरोग्य | | | | क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ |
| | संचालनालय | | | | का-११, दि.२३/५/१९९७ |
| | (एम.ए.एच.सेल) | | | | |
| 8 | उप संचालक, | Ę | टाणे (१) | एस-२०: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. |
| | औद्योगिक | | सहसं.पुणे(कार्य- | ५६,१००- | एफडीई- |
| | सुरक्षा व | | २)(१) | 9,00,400 | ३२८०/१५९७/का-६, |
| | आरोग्य | | नाशिक (१) | | दि.११/६/१९८१ व |
| | संचालनालय | | नांदेड (१) | | क्र.एफडीई- |
| | | | सातारा (१) | | १२१४३१/का-३, |
| | | | अहमदनगर (१) | | दि.१३/८/६९ |
| | | | | | |
| | | | | <u> </u> | 1 |

| | | | | | , |
|---|------------|----|-------------------|-----------------|------------------------|
| 4 | उप संचालक, | 9८ | कल्याण (१) | एस-२०: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. |
| | औद्योगिक | | पालघर (१) | ५ ६,१००- | आस्थापना- १०२००/ |
| | सुरक्षा व | | रायगड (१) | 9,00,400 | (१२६७)/भाग-(१)/२००४/ |
| | आरोग्य | | अपर पुणे(कार्य-३) | | काम-१, दि.२९/६/२००४ |
| | संचालनालय | | (9) | | अन्वये निर्माण करण्यात |
| | | | सह पुणे(कार्य-१) | | आलेल्या |
| | | | (9) | | उपसंचालकांच्या २२ |
| | | | नाशिक (२) | | पदापैकी ४ पदे |
| | | | धुळे (१) | | शा.नि.उ.ऊ व का वि, |
| | | | कोल्हापूर (१) | | क्र.औसुवआ-०२१६/ |
| | | | सांगली (१) | | प्र.क्र.१५/कामगार-१, |
| | | | औरंगाबाद (२) | | दि.११/०२/२०२१ अन्वये |
| | | | अकोला (१) | | कमी करण्यात आली |
| | | | अमरावती (१) | | आहेत. |
| | | | नागपूर (२) | | |
| | | | भंडारा (१) | | |
| | | | रत्नागिरी (१) | | |

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.२०२५ परिशिष्ट "ब" अराजपत्रित पदे

लेखाशिर्ष क्र. "के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१)०१ वेतन"शी संबंधित पदे

| अ | कार्यालय | पदनाम | पदांची | वेतन | पदनिर्मिती |
|-----|-----------------------|-------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| • | | | संख्या | मॅट्रीक्स | |
| क्र | | | | | |
| • | | | | | |
| 9 | अ)औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ट | ٩ | एस-८: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र.एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | लिपिक | | २५,५००- | ३२८०/(१५९७) /का-६, |
| | मुंबई | | | ८१,१०० | दि.११/६/१९८१ अन्वये वरिष्ठ |
| | | | | | लिपिकाची २ पदे संचालनालयाच्या |
| | ब) औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ट | 9 | एस-८: | मुंबई कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात |
| | आरोग्य संचालनालय, | लिपिक | | २५,५००- | आली होती. पैकी वरिष्ठ लिपिकाचे |
| | उप संचालक, सोलापूर | | | ८१,१०० | एक पद शा.नि. उ. ऊ.व का.वि., क्र. |
| | | | | | एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ का-१, |
| | | | | | दि.९/९/२०१४ अन्वये सह |
| | | | | | संचालक,पुणे (कार्य-१) येथे |
| | | | | | स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. |
| | | | | | त्यानंतर सदर पद उ. ऊ.व का.वि., |
| | | | | | शा.आ.क्र. औसुवआ- |
| | | | | | ०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार-१, |
| | | | | | दि.१४/२/२०२२ अन्वये उपसंचालक, |
| | | | | | सोलापूर कार्यालयात स्थलांतरीत |
| | | | | | करण्यात आले आहे. |
| 2 | औद्योगिक सुरक्षा व | लघुलेखक | 9 | एस-१४: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. |
| | आरोग्य संचालनालय, | निम्नश्रेणी | | ३८,६००- | आस्थापना- १०२००/(१२६७)/भाग- |
| | मुंबई | | | ٩,२२,८०० | १/२००४/काम-१ दि.२९/६/२००४ |
| 3 | औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक | 9 | एस-६: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक | | 98,800- | १३२४६/१३०९८७/काम-३, |
| | सह संचालक, पालघर | | | ६३,२ ०० | दि.२९/३/१९६५. सदर पद उ. ऊ.व |
| | | | | | <u>.</u> |

| | | | | | का.वि., शा.आ.क्र. औसुवआ- |
|-----|--------------------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | ०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार-१, |
| | | | | | दि.१४/२/२०२२ अन्वये अपर पुणे |
| | | | | | कार्यालयातून, सह संचालक, पालघर |
| | | | | | कार्यालयात स्थलांतरीत करण्यात |
| | | | | | आले आहे. |
| 8 | औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन | 9 | एस-६: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | चालक | | 98,800- | ३२८५/३३८७/काम-६, |
| | डाण <u>े</u> | | | & 3,700 | दि.९/२/१९८५ |
| 4 | औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन | 9 | एस-६: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.,क्र.एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | चालक | | 98,800- | ३२८४/(२९३८)/काम-६, |
| | नाशिक | | | ६३,२०० | दि.३०/१/१९८४ |
| દ્દ | औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ | 9 | एस-८: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.,क्र.एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | लिपिक | | २५,५००- | ३२८०/(१५९७)/काम-६, |
| | कोल्हापूर | | | ८१,१०० | दि.११/६/१९८१ |
| (9 | औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन | 9 | एस-६: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | चालक | | 98,800- | ३२९०/५३३०/काम-८, दि.७/४/१९९२ |
| | कोल्हापूर | | | ६३,२०० | |
| ۷ | औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक | 9 | एस-१३: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | | | 34,800- | ३२००/१५९७/काम-६, दि.३/७/१९८१ |
| | औरंगाबाद | | | 9,92,800 | |
| 9 | औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ | 9 | एस-८: | शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- |
| | आरोग्य संचालनालय, | लिपिक | | २५,५००- | ३२८०/(१५९७)/काम-६, |
| | औरंगाबाद | | | ८१,१०० | दि.११/६/१९८१ |

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.२०२५ परिशिष्ट "क" रासायनिक कक्ष

लेखाशिर्ष क्र. "के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन" शी संबंधित पदे.

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२.०४.१९८६

| अ.क्र. | कार्यालय | पदनाम | पदांची संख्या | वेतन मॅट्रीक्स |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 9 | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक | 9 | एस-२३: |
| | संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) | | | ६७,७००-२,०८,७०० |
| 2 | * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक | 9 | एस-२०: |
| | संचालनालय, कल्याण | | | ५६,१००-१,७७,५०० |
| 3 | * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक | 9 | एस-२०: |
| | संचालनालय, पालघर | | | ५६,१००-१,७७,५०० |
| 8 | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक | 9 | एस-१३: |
| | संचालनालय, नागपूर | | | ३५,४००-१,१२,४०० |
| 4 | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक | 9 | एस-२०: |
| | संचालनालय, ठाणे | | | ५६,१००-१,७७,५०० |

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२.०४.१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु * शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१.०५.२०११ अन्वये मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांची २ पदे सह संचालक, कल्याण येथे १ व सह संचालक, वसई येथे १ अशाप्रकारे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत.वसई कार्यालयातील सदर उप संचालकाचे पद, शा.नि.शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.०६.२०२१ नुसार सह संचालक, पालघर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

तसेच, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२.०४.१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात सह संचालकांचे एक पद मंजूर करण्यात आले होते, परंतु

+ शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.१५.०२.२०१२ अन्वये मुंबई कार्यालयातील सह संचालकाचे १ पद सह संचालक, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.२०२४. परिशिष्ट "ड"

लेखाशिर्ष क्र. "के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-००४ संशोधन व सांख्यिकी -(००)-(०१) औद्योगिक कारणांमुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन (२२३० ०४५२) ०१ वेतन" शी संबंधित पदे.

| अ.क्र. | कार्यालय | पदनाम | पदांची संख्या | वेतन मॅट्रीक्स | पदनिर्मिती |
|--------|------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------|
| 9 | औद्योगिक सुरक्षा | वरिष्ट | 9 | एस-८: | शा.नि.विकास विभाग, क्र. |
| | व आरोग्य | लिपिक | | २५,५००-८१,१०० | एफडीई-१३४७/४८-जे, |
| | संचालनालय, | | | | दि.११/५/१९५६ |
| | मुंबई | | | | |

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.२०२५. परिशिष्ट "इ" सुरक्षा कक्ष

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८१/काम-६, दि. २९.११.१९८५, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१.०५.२०११.

लेखाशिर्ष क्र. "के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन" शी संबंधित पदे.

| अ.क्र. | कार्यालय | पदनाम | पदांची | वेतन मॅट्रीक्स |
|--------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|
| | | | संख्या | |
| 9 | #औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक | 9 | एस-२३: |
| | संचालनालय, पालघर. | | | ६७,७००-२,०८,७०० |
| २ | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक | ٩ | एस-२०: |
| | संचालनालय, मुंबई. | | | ५६,१००-१,७७,५०० |
| 3 | * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक | 9 | एस-२०: |
| | संचालनालय, रायगड | | | ५६,१००-१,७७,५०० |

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२.०४.१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१.०५.२०११ अन्वये * मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांचे १ पद, सह संचालक, रायगड येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

#मुंबई कार्यालयातील सह संचालकाचे एक पद, शा.नि.शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.०६.२०२१ नुसार पालघर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

> (बा.सि.शिंदे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

> > पृष्ट १२ पैकी १०

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.२०२५. परिशिष्ट "फ"

वैद्यकीय शाखेचे बळकटीकरणासाठीच्या पदांचा तपशील

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९४/सीआर-१६३/काम-११, दि.०४.०१.१९९५ व शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९६/४९१/काम-११, दि. ०४.०६.१९९६.

लेखाशिर्ष क्र."के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९)"

| अ.क्र. | कार्यालय | पदनाम | पदांची | वेतन मॅट्रीक्स |
|--------|--------------------|------------------|-----------|-----------------|
| | | | संख्या | |
| 9 | औद्योगिक सुरक्षा व | <u>राजपत्रित</u> | 9 | एस-१५: |
| | आरोग्य संचालनालय, | वरिष्ठ वैज्ञानिक | | ४१,८००-१,३२,३०० |
| | मुंबई. | अधिकारी | | |
| 8 | " | अधिक्षक | 9 | एस-१३: |
| | | | | ३५,४००-१,१२,४०० |
| ч | " | वाहन चालक | २ | एस-६: |
| | | | (मुंबई-१) | 9९,९००-६३,२०० |
| | | | (रायगड-१) | |

शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि.१०.०३.०३.२०२५ जोडपत्र

विवरणपत्र "अ" "ब" "क" आणि "इ" मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष

| २२३०- | कामगार व सेवायोजन |
|----------|-----------------------------------|
| 09- | कामगार |
| 907- | कार्यस्थान परिस्थिती व सुरक्षितता |
| (00)(09) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य |
| | संचालनालय (२२३००५२१) |

विवरणपत्र "ड" मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष

| २२३०- | कामगार व सेवायोजन |
|----------|---------------------------------|
| 09- | कामगार |
| 008- | संशोधन व सांख्यिकी |
| (00)(09) | औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोग व |
| | धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन |
| | (२२३००४५२) |

विवरणपत्र "फ" मध्ये दाखिवलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष

| २२३०- | कामगार व सेवायोजन |
|----------|------------------------------------|
| 09- | कामगार |
| 02- | कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता |
| (00)(00) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य |
| | संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागांचे |
| | बळकटीकरण (२२३००९८९) |